संख्या-8/2020/228/12-5-2020-ब०-03/2018

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 02 मार्च, 2020**

विषय:- इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस-2356/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2019-20, दिनांक 13 फरवरी, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू० 1260.48 के सापेक्ष इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स योजना के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार धनराशि रू0 169.80 लाख (रूपये एक करोड़ उनहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखा शीर्षक/योजना का नाम	**वर्ष 2019-20 में प्राविधान**	**पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति**	**वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि**
2401-फसल कृषि कर्म 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं			
0103-इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैस्टिक्स	1260.48	356.26	169.80
योग	**1260.48**	**356.26**	**169.80**

2- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन तथा पत्र संख्या-2-3/2015-ए.एस.आई.ई.एस, दिनांक 21.04.2015 द्वारा जारी प्रदत्त प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है।

3- योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आहरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि धनराशि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

4- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर त्रैमासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

5- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योकिं धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टेण्टर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-11, दिनांक 29.05.2012 द्वारा समस्त भुगतान एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

8- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थ व्यवस्था एवं सांख्यिकी, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स के अन्तर्गत मानक मदो के नामें डाला जायेगा।

9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या-8/2020/228(1)/12-5-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, लखनऊ।
8. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
10. सहायक निदेशक (कम्प्यूटरएवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पत्र संख्या-8/2020/228/12-5-2020-ब०-03/2018, दिनांक 02 मार्च, 2020 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थ व्यवस्था एवं सांख्यिकी, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स (100 प्रतिशत भारत सरकार की सहायता) योजनान्तर्गत रू0 169.80 लाख (रूपये एक करोड़ उनहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति का मानक मदवार विवरण :-

(धनराशि लाख रूपये में)

मानक मद	वर्ष 2019-20 में प्राविधान	पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति
01-वेतन	860.68	228.67	103.00
03-महंगाई भत्ता	129.10	34.57	17.17
04-यात्रा व्यय	50.00	12.50	20.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00	0.25	0.75
06-अन्य भत्ते	5.00	1.25	0.00
08-कार्यालय व्यय	17.00	4.25	3.00
11-लेखन सामग्री और प्रपत्रों की छपाई	17.00	4.25	2.00
15-मो0 गाड़ी अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि	10.00	2.50	6.00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.00	0.00	0.00
42-अन्य व्यय	10.00	2.50	2.88
44-प्रशिक्षण व्यय	2.00	0.50	0.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.25	0.00
46-कम्प्यू0 हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	14.00	3.50	0.00
47-कम्प्यू0 अनु0/तत्संबंधी स्टेशनरी	10.00	2.50	3.00
49-चिकित्सा व्यय	7.00	1.75	1.00
51-वर्दी व्यय	0.05	0.01	0.00
52-पुनरीक्षित वेतन के अवशेष (राजकीय)	31.65	31.65	0.00
55-मकान किराया भत्ता	86.39	23.03	10.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	8.61	2.33	1.00
योग	**1260.48**	**356.26**	**169.80**

वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।